(190)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2190–एक / 2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–06–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–174 / अपील / 2011–12

.....

1– भोलाराम तिवारी तनय चन्द्रभानराम तिवारी (मृतक) वारिसान–

1. श्रीमती धर्मवती वेबा स्व0 भोलाराम तिवारी
2. अश्वनी कुमार तिवारी पुत्र स्व0 भोलाराम तिवारी
3. श्यामधर तिवारी पुत्र स्व0 भोलाराम तिवारी
4. कुसुम पुत्री स्व0 भोलाराम तिवारी पत्नी नरेन्द्र प्रसाद मिश्रा
5. आयशा पुत्री स्व0 भोलाराम तिवारी पत्नी अशोक कुमार

निवासीगण– ग्राम मिसिरगॅवा एवं कोठार तहसील गोपदबनास जिला–सीधी(म0प्र0)

———आवेदकगण

विरूद्ध

राम सुशील तिवारी पिता स्व0 चन्द्रभानराम तिवारी
निवासी– ग्राम मिसिरगॅवा एवं कोठार तहसील गोपदबनास
जिला–सीधी (म0प्र0)

———अनावेदक

.....

श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/08/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मिसिरगॅवा एवं कोठार स्थित कुल भूमि 14 कुल रकबा 8.90 है0 की भूमियॉ पृत्रैक भूमियॉ है, जिस पर आवेदकगण एवं अनावेदक का नाम सहखातेदार के रूप में अभिलेख पर दर्ज है। अनावेदक द्वारा तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 178 के तहत संयुक्त खाता का विभाजन घरू अथवा आपसी बटवारा दिनांक 21.06.89 के आधार पर किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार गोपबनास ने हल्का पटवारी से आपसी बटवारा एवं मौके पर कब्जा के स्थित के आधार फर्द बंटवारा पुल्ली तैयार कर प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया। तहसीलदार के आदेश के पालन में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर भोलाराम एवं रामरखवारे द्वारा बटवारा पुल्ली के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमियों को 1/3 के भाग से विभाजित किया जाये साथ ही संहिता की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार गोपदबनास ने दिनांक 30.05.2011 से प्रस्तुत आवेदन पत्र को औचित्यहीन मानकर खारिज किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक भोलाराम तिवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जहां अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 207/अपील/2010–11 में दिनांक 22.11.2011 से प्रत्यावर्तित का आदेश पारित करते हुये, तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण वापस किया कि पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक राम सुशील तिवारी द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 174/अपील/2011–12 पर पंजीबद्ध किया तथा दिनांक 05.06.2012 से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्रत्यावर्तित आदेश को न्यायोचित न मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा अनावेदक की अपील को स्वीकार किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदक ने अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि उभयपक्ष के मध्य तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा आदेश

उभयपक्षों की उपस्थिति में विधिवत रूप से किया गया था। अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश के पैरा नं0 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश किन परिस्थितियों में उचित नहीं है, उन सब का स्पष्ट उल्लेख किया है। अपर आयुक्त के समक्ष जो अपील अनावेदक की ओर से प्रस्तुत की गई थी, उसके पैरा नं0 5 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त प्रकरण में अपील प्रचलन योग्य न हो तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को निगरानी मानकर आदेश पारित किया जाये और स्थिति के अनुसार अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है स्थिर रखे जाने योग्य है। अतः निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाये तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखा जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय में अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय ने हल्का पटवारी से मौके पर जाकर स्थल का निरीक्षण कराने के उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त किया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण के पिता स्व0 भोलेराम एवं अनावेदक का पैतृक स्वत्व है। चूँकि आवेदकगण के पिता स्व0 भोलेराम एवं अनावेदक आपस में सगे भाई थे और संहिता की धारा 178 के तहत दिनांक 21.06.89 को आवेदकगण के पिता एवं अनावेदक के मध्य आपसी बटवारा आपसी सहमति, गवाहों एवं ग्राम पंचायत के सरपंच के मौजूदगी में किया गया था। जिसमें उभयपक्ष पूर्णतः सहमत था और बाटवारे में मिली भूमियों पर वे काबिज है। आवेदकगण ने मात्र इस आधार पर आपत्ति जताई है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर 1/3 का हिस्सा दिलाया जाये। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर 1/3 हिस्सा भौतिक रूप से सम्भव नहीं है, क्योंकि उनका रकबा अत्याधिक कम है। इसके बाद भी आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई और दिनांक 30.05.2011 से पुल्ली बटवारा नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया । आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22.11.2011 को आदेश पारित कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण किया जावे। जबकि विचारण

न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष उपस्थित हुये थे और उन्हें विधिवत सुना गया था तथा पक्ष समर्थन एवं दावा आपत्ति प्रस्तुत हेतु पर्याप्त अवसर भी दिया जाकर आपत्ति का निराकरण भी किया गया था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का प्रत्यावर्तित आदेश न्यायोचित नहीं माना जा सकता । इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है तथा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 05.06.2012 न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,